आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

Jamabandi Cancellation Rev. No. 369/2023

हरेन्द्र राय

बनाम्

राम विनोद राम एवं अन्य

आदेश

01.03.2024

अपीलकर्ता – उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को ग्रहण के बिन्दु पर सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01/2015 में दिनांक 22.08.2017 को जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जमाबंदी के बिन्दु पर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है।

निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01/2015 में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत वाद इस स्तर पर ग्रहण हेतु लाया गया है।

आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि समाहर्त्ता, सारण ने अपर समाहर्त्ता के आदेश को set aside करते हुये वाद को रिमाण्ड किया गया है। इसलिए आवेदक को निदेशित किया जाता है कि वे अपर समाहर्त्ता, सारण, छपरा के न्यायालय में अपना पक्ष रखें ताकि अपर समाहर्त्ता, सारण इस विषय में सभी पक्षों को सुनकर नवीन आदेश पारित कर सके।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत वाद को ग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।